न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, वैशाली, हाजीपुर।

सत्रवाद सं0 579/2024

अर्जुन सिंह एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार

अधीन धारा– 302, 201, 380/34 भा0द0वि0

आदेश

Web Copy not Official

14.08.2024 प्रार्थी **सीताराम सिंह** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नियमित जमानत आवेदन परिचालित किया गया। इसकी प्रति विद्वान ए0पी0पी0 को दी गयी।

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक प्राथमिकी अभियुक्त है और इस वाद के दो अन्य सहअभियुक्त योगेंद्र सिंह और रमेश सिंह को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा औपबंधिक जमानत की सुविधा दि0 01.05.2018 को इस शर्त के साथ दी गयी कि जब आरोप पत्र समर्पित हो जाए औरकेस को उनके विरूद्ध सत्य पायी जाएगी तो उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा और जमानत के लिए निवेदन करना होगा। पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित कर दिया है और आवेदक न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर रहा है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं की है। ऐसी कोई घटना नहीं घटी। सूचक की बहन शीला देवी अभी भी जिन्दा है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रमाण नहीं है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्त राज कुमार सिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस सं0 37247/18 द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा मिल चुकी है जबकि अन्य सहअभियुक्त अर्जुन सिंह को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा नियमित जमानत सं0 209/21 द्वारा जमानत की सुविधा मिल चुकी है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है। इसी आलोक में आवेदन को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान ए0पी0पी0 द्वारा आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थना किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध दि0 31.07.2024 को धारा 302/34, 201/34, एवं 27 380/34 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया है और प्राथमिकी के अनुसार सूचक नागेन्द्र सिंह की बहन शीला देवी है। दि0 18.08.2017 को करीब 02 बजे रात्रि में अर्जुन सिंह, जोगिन्द्र सिंह, लक्ष्मी देवी, सुनिता देवी, सियापति देवी, रमेश सिंह, मुकेश कुमार, सीताराम सिंह, राजकुमार सिंह,ने घर के दरवाजे को खोलकर घर में प्रवेश कर गए तथा सूचक की बहन शीला देवी को सभी लोग जमीन हड़पने के उद्देश्य से बेरहमी से पीटकर हत्या कर दिए। घर मे रखे सामन को लूट लिया तथा लाश गायब कर दिया। ऐसी स्थिति में उनके इस निवेदन को अस्वीकृत

लगातार

14.08.2024 करने की प्रार्थना की गयी है।

सुना, एवं अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित करने के उपरांत संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरांत इस न्यायालय द्वारा धारा 302/34, 201/34, एवं 380/34 के अंतर्गत आरोप गठित किया गया है और साक्षियों को समन निर्गत किया गया है। अपराध की गंभीरता और सीधे आरोप को देखते हुए तथा ऐसा साक्ष्य भी नहीं आया है कि इससे आरोप की असत्य होने का प्रमाण हो, फलस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रार्थी **सीताराम सिंह** का नियमित जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है। अतः इस आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

Web Copy not Official

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
वैशाली,